न्यायालय लेण्डरिकोर्ड एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद
पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 38 / 2024 ए
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 04.04.2024
निर्णय दिनांक : 19.03.2026

अनवान

1– मोहनदान पिता रूपा जाति चारण निवासी चावण्डिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद
2– केशरदान पिता हीवादान जाति चारण, निवासी चावण्डिया तहसील रेलमगरा
3– गीता पत्नि शम्भुदान जाति चारण, निवासी चावण्डिया तहसील रेलमगरा
4– जेठुदान पिता जीवादान जाति चारण, निवासी चावण्डिया तहसील रेलमगरा
5– बद्रीदान पिता जीवादान जाति चारण, निवासी चावण्डिया तहसील रेलमगरा
6– रूकमणी पुत्री रूपा जाति चारण, निवासी चावण्डिया तहसील रेलमगरा
7– राजुदान पिता नारू जाति चारण, निवासी चावण्डिया तहसील रेलमगरा
8– श्यामुबाई पुत्री नारूदान जाति चारण, निवासी चावण्डिया तहसील रेलमगरा
9– सज्जनदान पुत्र नारू जाति चारण, निवासी चावण्डिया तहसील रेलमगरा
10–ईश्वरदान पिता लक्ष्मणदान जाति चारण, निवासी चावण्डिया तहसील रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत्

उपस्थित :– अधिवक्ता मदनलाल सालवी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी, आधिपत्य की भूमि ग्राम चावण्डिया तहसील रेलमगरा के आराजी नम्बर 690, 827, 828, 829, भूमि है। प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण के विपक्षीगण पडौसी है किन्तु आये दिन मौके पर सीमा नष्ट करते रहते है इसी वजह से मौके पर आये दिन भूमि के सीमांकन को लेकर झगडा फसाद होता रहता है, उक्त विवाद समाप्त कराये जाने हेतु मौके पर पत्थर गढ़ी कराया जाना आवश्यक है ताकि विपक्षी एवं प्रार्थी के मध्य बाड को लेकर मौके पर कोई विवाद पैदा नही होवें। मौके पर आये दिन डिर्माकेशन को लेकर पक्षकोरो के मध्य विवाद होता रहता है विवाद को समाप्त करने के लिए यह यही न्यायोचित होगा कि मौके पर पक्षकारों के मध्य भूमि कि नपती करायी जावे एवं नपती करने के बाद मौके की स्थिति के अनुसार मीनार लगाई जावे ताकि प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य भविष्य मे इस प्रकार की विवाद उत्पन्न नही होवें।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 मे किया गया है, जिसके पडौस मे विपक्षीगण की भूमियो के मध्य स्थाई सीमांकन चिन्ह (पत्थरगढी) कराई जावे एवं मौके पर मीनारबन्दी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण अनुपस्थित । प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी से प्रार्थीगण खातेदार होना जाहिर हैं एवं विपक्षीगण द्वारा भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया हैं वैसे भी प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में पत्थरगढी करने पुर्ण अधिकार है जिसे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र का स्वीकार किया जाने का योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चावण्डिया तहसील रेलमगरा में प्रार्थी की आराजी नम्बर 690, 827, 828, 829, भूमि में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाते है, आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत उक्त भूमि की पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस समयावधि के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें। वक्त पत्थरगढी प्रार्थी कमिश्नर शुल्क 1500/– रूपये नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। आदेश की प्रति तहसीलदार रेलमगरा को भेजी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय मे आदेश मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
लेण्ड रिकोर्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा